

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री भगवतसिंह

विपक्षी :- राज्य

किस्म मुकदमा - 136 भू.रा.अधि.

पत्रावली संख्या : 89 / 22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक : 17.01.2023</p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री लाजवन्ती जैन द्वारा प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं करना चाहकर सीधे बहस सुनी जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली से जवाब प्राप्त, शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार उपस्थित। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब को ही बहस माना जाने का निवेदन कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम भगवतनाथ पिता तख्तनाथ गलत अंकित होना बताया जिसे दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में प्रार्थी का नाम भगवतनाथ पिता तख्तनाथ व भगवतसिंह पिता तख्तसिंह दोनो होना जाहिर आया है। राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश कर भगवतनाथ पिता तख्तनाथ व भगवतसिंह पिता तख्तसिंह को एक ही व्यक्ति होना बताकर नाम संशोधन किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :—</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वांगरोदा पटवार हल्का भीमल की आराजी नम्बर 1061, 1062, 1063, 1064, 1060 भूमि में खातेदार भगवतनाथ पिता तख्तनाथ के बजाय भगवतनाथ उर्फ भगवतसिंह पिता तख्तनाथ उर्फ तख्तसिंह संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

